न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 618/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88/53 आरटीए

शाहरसूल पुत्र रफी मोहम्मद जाति राठ निवासी मानकसर तह० संगरिया
बनाम
1 सलीम मोहम्मद पुत्र रफी मोहम्मद जाति राठ निवासी मानकसर तह० संगरिया — वादी
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया

उपस्थित
1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता — वादी
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 19 एमकेएस खाता संख्या 145/102 के विरासतन खातेदार काश्तकार है नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादी एव प्रतिवादी नं 1 आपस मे सगे भाई है हमारा अरसा दराज पूर्व घरूतौर पर अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा हो चुका है मुताबिक घरूबंटवारा के वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार निम्न प्रकार से भूमि कब्जां काश्त मे आई हैं। चक 19 एमकेएस खाता संख्या 145/102 प.न. 154/231 मु.न. 3 किला नम्बर 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है० गै मु० रास्ता कुल 0.253 है0 नंहरी.मय गै०मु० कृषि भूमि घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा मे आई कृषि भूमि पर वादी ने काफी मेहनत कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है जिसका वादी घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा मे आई कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी नं 1 से कई दफा कहा कि घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जाकाश्त मे आई कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार अपना—अपना खाता तकसीम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादी नं 1 पहले तो टाल—मटोल करते रहे एवं अन्त में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस यही विनाय दावा है। वादी एवं प्रतिवादी नं 1 का आपस मे सींव बट एवं रकमराज को लेकर सदैव ही झगडा बना रहता है इसलिये वादी अपना खाता सांझा नही रखना चाहते है। कब्जा काश्तनुसार अपना खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादी ने घरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई कृषि भूमि पर काफी मेहनत कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है। अब यदि वादी को मुताबिक कब्जा काश्त के खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तक्सीम नही किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

धन में न हो सकेगी। प्रतिवादी नं. 2 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। इनसे किसी प्रकार का डायरेक्ट अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा दो रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जो कि काबिल समायत अदालत वाला है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद, वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 19 एमकेएस खाता संख्या 145/102 प.न. 154/231 मु.न. 3 किला नम्बर 2/1/0.228 है. , 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता हिस्सा मे आई कृषि भूमि का खाता तक्सीम कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश फरमावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता राजीनामा पेश मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण वादी/प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने का निवेदन करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहकाश्तकार है। वादी एव प्रतिवादी ने वाद पत्र को डिक्री किये जाने हेतु राजीनामा पेश कर दिया है मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 चक 19 एमकेएस के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादी खाता विभाजन का अधिकारी है। साथ ही प्रकरण में वादी एव प्रतिवादी के मध्य वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु राजीनामा भी पेश हो चुका है इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि वादी का चक 19 एमकेएस खाता संख्या 145/102 प.न. 154/231 मु.न. 3 किला नम्बर 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेष 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 618/2025

शाहरसूल पुत्र रफी मोहम्मद जाति राठ मिवासी मानकसर तह० संगरिया वादी

बनाम

1 सलीम मोहम्मद पुत्र रफी मोहम्मद जाति राठ निवासी मानकसर तह० संगरिया
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई सर्वश्री हमारे बहाजरी श्री नबरत्न स्वामी वादी मिन जामिन मुदई श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादी का चक 19 एमकेएस खाता संख्या 145/102 प.न. 154/231 मु.न. 3 किला नम्बर 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन यथावत रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 14.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया